भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2018

गुरूवार, 14 दिसम्बर, 2023 (23 अग्रहायण, 1945 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

कलबुर्गी विमानपत्तन का उन्नयन

2018. डॉ. उमेश जी.जाधव:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को कलबुर्गी विमानपत्तन से नए सेक्टरों के लिए उड़ानें शुरू करने के लिए जन प्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कलबुर्गी विमानपत्तन का रात्रिकालीन (नाइट) लैडिंग सुविधा के लिए उन्नयन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क): कलबुर्गी हवाईअड्डे को नई दिल्ली, बेलगावी और भारत के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए उड़ान प्रचालन शुरू करने हेतु संसद सदस्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

वर्तमान में कलबुर्गी हवाईअड्डा, बैंगलुरु (गैर-आरसीएस मार्ग) और तिरुपति (आरसीएस मार्ग) से जुड़ा हुआ है।

(ख) और (ग): कलबुर्गी हवाईअड्डे पर दिनांक 30.10.2023 से रात्रि लैंडिंग सुविधा शुरू कर दी गई है।

(घ): कलबुर्गी हवाईअड्डे पर विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं: रनवे का पुनः सतहीकरण, एप्रन का विस्तार तथा टैक्सी-वे का निर्माण, आईएलएस की संस्थापना, टर्मिनल भवन का विस्तार, इत्यादि।

मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के समाप्त किए जाने के पश्चात, भारतीय घरेलू विमानन पर नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है। कोई भी अनुसूचित एयरलाइन, यातायात तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मद्देनजर, अपनी सम्यक कर्मठता के आधार पर कलबुर्गी को जोड़ने वाली वाणिज्यिक उड़ानों का प्रचालन शुरू कर सकती है।

****